

**न्यायालय :- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय के  
चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)**

कमांक/५३९/IV-AJ to I-ADJ/2020 बैतूल, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020

**-:: सूचना ::-**

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के सर्कुलर कमांक-  
बी/3817 जबलपुर, दिनांक 01.10.2020 तथा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
बैतूल के विविध आदेश क.173/दो-12-11/2014 बैतूल, दिनांक 03.10.2020 के  
अनुपालन में **दिनांक 10-10-2020** को व्ही.सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु  
नियत प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है :-

स.	प्रकरण कमांक	पक्षकार का नाम	अधिवक्ता का नाम	सिविल/ आप.
1.	CRA No. 46/2018	अनिल वि. राज्य	श्री सी.के.नागले	किमि.अपील
2.	RCA No. 29A/2016	लक्ष्मण वगै. वि. बेबीबाई व अन्य	श्री एन.डी.नागले श्री डी.एस.ठाकुर	सिविल अपील
3.	RCA No.30A/2016	बेबीबाई वि. लक्ष्मण व अन्य	श्री एन.डी.नागले श्री डी.एस.ठाकुर	सिविल अपील

**(राज कुमार गुप्ता)**

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल  
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त  
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

पृ.कमांक/५३९/IV-AJ to I-ADJ/20 बैतूल, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020  
प्रतिलिपि :-

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैतूल की ओर सूचनार्थ।
3. जिला अधिवक्ता संघ बैतूल के सूचना पटल पर अधिवक्तागण/  
सर्वसाधारण को सूचनार्थ।
4. न्यायालय सूचना पटल पर अधिवक्तागण/सर्वसाधारण को सूचनार्थ।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बैतूल की ओर उक्त सूचना जिला  
न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

**(राज कुमार गुप्ता)**

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल  
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त  
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय—प्रथम अपर सत्र न्या. बैतूल के न्यायालय के  
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल

—:: दिनांक 10.10.2020 को वी.सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु नियत  
प्रकरणों की सूची ::—

क.	प्रकरण क.	पक्षकार का नाम	अपीलार्थी अधिवक्ता	गैर अपीलार्थी अधिवक्ता
1	सी.आर.ए. 116 / 16	शासन—वि. तरुण	अतिरिक्त लोक अभियोजक	श्री गुफरान खान
2	आर.सी.ए. 06ए / 15	वीरेन्द्र—वि.—सुरेन्द्र	श्री सुरेन्द्र मालवी	श्री उमाशंकर पचोली
3	आर.सी.ए. 11ए / 15	सुरेन्द्र—वि.—वीरेन्द्र	श्री उमाशंकर पचोली	श्री सुरेन्द्र मालवी
4	आर.सी.ए. 43 / 16	सुरेश—वि.—तरुण	श्री रामकिशोर बोरबन	श्री खंडेलवाल
5	आर.सी.ए. 27 / 18	सुरेश—वि.—हरिप्रसाद	श्री बडोनिया	श्री योगेश राठौर

  
(ए.के.दंदेलिया)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय के  
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल

**न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई जिला-बैतूल (म.प्र.)**

क्रमांक ८२ / द्वि.अ.जि.न्या./2020

मुलताई दिनांक 09/10/2020

### **परिपत्र**

विषय :- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक बी/3817 जबलपुर दिनांक 01.10.2020 अनुसार पूर्व बी/3717 जबलपुर दिनांक 26.09.2020 परिपत्र क्रमांक ए/2083 दिनांक 18.09.2020, परिपत्र क्रमांक सी/2214 दिनांक 12.09.2020, परिपत्र क्रमांक डी/2377 दिनांक 27.06.2020, क्य12 दिनांक 04.05.2020 तथा बी/2655 दिनांक 24.07.2020 को दिनांक 05.10.20 से 09.10.2020 तक प्रभावशील किया जाकर न्यायालयों का सीमित संचालन अनुज्ञात किया गया है। साथ ही सभी न्यायालयों में नियमानुसार संपूर्ण न्यायालयीन समय में कार्य किया जाना आदेशित किया गया है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के पूर्व आदेशानुसार जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश हेतु नियत प्रकरण तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में अतिआवश्यक मामलों में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः दिनांक 10.10.2020 को नियत निम्नांकित दांडिक एवं सिविल प्रकरण को प्रातः 11.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिये जावेंगे।

क्र.	प्रकरण क्र.	सी.आई. एस. नं.	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	मोबाईल न.	रिमार्क
-	-	-	-	-	-	-

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पक्षकारगण को न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने उक्त प्रकरण में अपने-अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो वे न्यायालय परिसर में स्थित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन

सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई-डी multai@mphc.in पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक 10.10.2020 को नियत शेष आपराधिक एवं सिविल प्रकरण निम्नांकित दिनांक को उसी प्रक्रम पर सुनवाई में लिये जायेंगे :-

क्र.	प्रकरण क्र.	सी.आई. एस. नं.	पक्षकार नाम	अधिवक्ता के नाम	नियत दिनांक	रिमार्क
1	EX-MJC	115/19	विक्रम विरुद्ध शेख सलीम	1. श्री नवीन श्रीवास्तव 2. -	12.12.2020	
2	EX-MJC	155/19	सुरेश विरुद्ध न्यू इंडिया इन्श्यू कंपनी	1. श्री नवीन श्रीवास्तव 2. -	12.12.2020	
3	EX-MJC	167/19	सुखराम विरुद्ध यूना. इन्श्यू कंपनी	1. श्री जी.जी.घोडे 2. -	12.12.2020	
4	EX-MJC	57/17	डी न्यू इंडिया कंपनी विरुद्ध राजेन्द्र	1. श्री विनोद टेकाडे 2. -	12.12.2020	
5	EX-MJC	169/19	दयाराम विरुद्ध भीमराव	1. श्री जी.जी.घोडे 2. -	12.12.2020	
6	EX-MJC	170/19	सगली विरुद्ध एच. डी.एफ.सी इन्श्यू	1. श्री जी.जी.घोडे 2. -	12.12.2020	

(सुशील कुमार जोशी)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
गुलताई, बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय—अनीता खजुरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला बैतूल

कमांक— सीजेएम/20 बैतूल

दिनांक—09.10.2020

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,  
बैतूल

विषय:— दिनांक—10.10.2020 को नियत व्ही.सी.के माध्यम से सुनवाई योग्य प्रकरणों की जानकारी प्रेषित किए जाने बाबत।

संदर्भ:— कार्यालय विविध आदेश कमांक—64/दो-12-11/2014 बैतूल दि.—04.05.20 एवं विविध आदेश कमांक—119/दो-12-11/2014 बैतूल दि.—07.08.20।

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सादर निवेदन है कि इस न्यायालय में लंबित दिनांक—10.10.2020 को नियत दांडिक, विविध कार्यवाही एवं सिविल प्रकरणों में से व्ही.सी. के माध्यम से सुनवाई योग्य निम्न प्रकरण है—

क्र	प्रकरण क्र/ अपराध क्र	थाना	पक्षकार	धारा	अधिवक्ता	रिमार्क
1	508/20	सारणी	अनिश	457 दप्रस	श्री सुरेश सुनन	केस डायरी प्रतिकार्य
2	878/20	बैतूल	अनीष, शेख, रामेश्वर, ओमकार, सिद्धार्थ, पवन	457 दप्रस	श्री हीरानन सूर्यवंशी	केस डायरी प्रतिकार्य
3	374/20	गंज	गुलाब	457 दप्रस	श्री सुरेन्द्र चौहान	जानकारी प्रतिकार्य
4		बैतूल	राजेश	457 दप्रस	श्री अनूप सोनी	आवेदन पर तर्क

(अनीता खजुरिया),  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बैतूल

प्रतिलिपि—अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(अनीता खजुरिया),  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बैतूल